कार्यालय नगर पंचायत भगवानपुर जनपद हरिद्वार।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत भगवानपुर जनपद हरिद्वार के द्वारा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) की धारा 293, व 298 के अधीन प्राविधानों के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत भगवानपुर जनपद हरिद्वार ने अपनी सीमा मे तहबाजारी को नियंत्रित करने हेतू तहबाजारी उपविधि 2015–16 बनाये गये है, जो उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एंव जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो, से आपत्ति एंव सुझाव हेतू प्रकाशित की जा रही है। उक्त उपविधि के सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति/यंस्था को किसी प्रकार की शिकायत/आपत्ति अथवा कोई सुझाव हो तो वह इस उपविधि के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस मे अवकाश दिवस को छोडकर अपनी लिखित शिकायत/आपत्ति अथवा सुझाव कार्यालय नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार मे प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के बाद प्रस्तुत शिकायत/आपत्ति अथवा सुझाव पर कोई विचार नही किया जायेगा।

तहबाजारी उपविधि 2015–16

नियमावलीः–

1. नाम व विस्तारः–
   - (अ) यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर जनपद हरिद्वार उपविधि 2015–16 तहबाजारी कहलायेगी तथा नगर पंचायत भगवानपुर की सीमा मे प्रवृत्त लागू होगी।
   - (ब) यह उपनियम/उपविधि दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रवृत्त होगें।
2. परिभाषाएंः– विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकुल न होने पर ।
   - (क) उपनियम का तात्पर्य यथा संशोधित उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) से है।
   - (ख) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार से है।
   - (ग) अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी से है।
   - (घ) तहबाजारी से तात्पर्य लोक निर्माण विभाग की सडक, सार्वजनिक भूमि, नगर पंचायत भगवानपुर की सडक व भूमि इत्यादि से है। उक्त तहबाजारी उपनियम उक्त अधिनियम की धारा 293(1) 298(2) (ज) (ड) व धारा 300, 300(1) के अन्तर्गत बनाये गये है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भगवानपुर
जिला हरिद्वार

उपनियम

1.(क) नगर पंचायत भगवानपुर की सीमा के अन्दर जो व्यक्ति सरकारी जगह/सडक आदि का व्यापारिक रूप मे प्रयोग करेगा, उसको रू0 5.00 प्रति वर्ग मी0 तथा कम से कम रू 10.00 तहबाजारी शुल्क प्रतिदिन देना होगा।

(ख) यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने अथवा किराये की दुकान के सामने सरकारी भूमि के उपयोग करने पर तहबाजारी शुल्क रू0 5.00 प्रति वर्ग मीटर या कम से कम रू0 10.00 प्रति दिन देय होगा।

सरकारी सडक पर फेरी मे सौदा देने/बेचने पर तथा अन्य प्रकार से तहबाजारी शुल्क निम्नवत् देय होगा।

1.सिर पर या शरीर पर कपडा बेचने वाले अथवा दवाई बेचने वाले एजेन्ट पर।............5.00 रू0
2.अन्य सभी फेरी वालों पर।............5.00 रू0
3.साईकिल पर सौदा/सामान बेचने वालो पर।............5.00 रू0
4.साईकिल पर कोयला व दुध आदि बेचने वालो पर।............5.00 रू0
5.घोडा खच्चर आदि पर सौदा बेचने वालो पर।............5.00 रू0
6.रेडी ठेली जो एक स्थान से दूसरे पर खडे होकर सौदा बेचते है।............10.00 रू0
7.रेडी ठेली जो एक स्थान पर खडे होकर सौदा बेचते हो।............10.00 रू0
8.भैसां बुग्गी, खच्चर/ठेला/घोडा तांगा व बैलगाडी पर सामान बेचते हो।............10.00 रू0
9.घोडा तांगा/भैसा बोग्गी आदि मे मिटटी के थुऐं/उपले/मिटटी के बर्तन व घास बेचते हो।............10.00 रू0
10. स्टेशन वैगन लारी/ट्रक/बडा वाहन आदि जो सामान उतारता अथवा लादता हो।............50.00 रू0
11. टैम्पों, छोटा हाथी/ट्रैक्टर ट्राली आदि जो सामान उतारता अथवा लादता हो।............20.00 रू0

12.मोटर साईकिल. मोपेड अथवा स्कुटर आदि से फेरी पर दुध बेचने पर।............10.00रू0
13.सवारी बसें/ मिनी बस आदि जो सडक को स्टैन्ड के रूप मे उपयोग करे प्रतिदिन ।............20.00 रू0
14.सवारी थ्री व्हीलर/टैम्पों(विकम) आदि जो सडक को स्टैन्ड के रूप मे प्रयोग करें अर्थात जो टैम्पों/विकम नगर पंचायत भगवानपुर की सीमा मे सवारी बैठाता/उतारता हों।............10.00 रू0
15. मोटरसाइकिल इजंन आदि वाले रेडे से सामान लादने एवं उतारने पर तथा ई–रिक्शा पर।............5.00 रू0

3 .नगर पंचायत की सीमा के अन्दर सरकारी सडक पर या जगहो पर या हाथ मे लाये हुए मिटटी के थुऐं लकडी, कली, चूना, पुले, तीर, हॉडी, घडे, रस्सी, बान, पंखे आदि पर कोई तहबाजारी शुल्क देय नही होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भगवानपुर

4. इस नियम के अनुंसार शुल्क अदा न करने पर अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/मेम्बर इंचार्ज/नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अधिकार होगा कि वह उस सम्बन्धित व्यक्ति का सामान उठाकर नगर पंचायत कार्यालय मे दाखिल करा देगा और यदि किसी मालिक का सामान यदि खराब होने वाला है तो उसको तुरन्त नगर पंचायत भगवानपुर नीलाम कर देगी ओर खराब न होने की दशा मे एक माह की प्रतीक्षा करने के पश्चात नीलाम कर दिया जायेगा। सामान नीलाम करने पर जो धन प्राप्त होगा उसे शुल्क तहबाजारी के दस गुणा तक अथवा जितना अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी नियत करें काटकर शेष मालिक को लौटा दिया जायेगा अथवा वाद भी योजित किया जा सकता है।

4.(अ) उपरोक्त धारा 4 के अनुसार कार्यवाही से जो धनराशि प्राप्त होगी, उस धन से यदि तहबाजारी ठेके पर है तो ठेकेदार को वाजिब शुल्क दे दिया जायेगा और शेष धन नगर पंचायत निधि मे जमा कर दिया जायेगा। उक्त कार्यवाही तहबाजारी वसूल करने वाले के लिखित प्रार्थना पत्र पर ही की जायेगी।

5. सरकारी सडको या नगर पंचायत की भूमि आदि के प्रयोग पर केवल ठेकेदार/, ठेकेदार का मुन्शी या नगर पंचायत के कर्मचारी ही तहबाजारी शुल्क वसूल करेगा और किसी को तहबाजारी शुल्क वसूल करने का अधिकार न होगा।

6. शुल्क लेने–देने वाले के बीच यदि कोई झगडा या वाद–विवाद उत्पन्न हो जाये तो अध्यक्ष/प्रभरी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर का निर्णय मान्य होगा।

7.तहबाजारी शुल्क वसूल करते समय नगर पंचायत भगवानपुर के कर्मचारी ठेकेदार या ठेकेदार के मुन्शी को शुल्क अदा कर्ता को रसीद देनी होगी जो रसीदें उपयोग मे लायी जायेगी वह नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नियमानुसार छपवाई जायेगी तथा प्रयोग से पूर्व नगर पंचायत भगवानपुर के अधिशासी अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होगी तथा प्रयोग के उपरान्त नगर पंचायत कार्यालय मे जमा करनी होगी।

(क) नगर पंचायत के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ठेकेदार अथवा ठेकेदार के मुन्शी से किसी भी समय काउन्टर फाईल मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

8. उपनियम तहबाजारी की कार्यवाही नियंत्रित करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को होगा।

9. ठेके पर दी गई जगह/स्थान की नगर पंचायत को यदि सरकारी कार्य के लिए आवश्यकता पडे तो ठेकेदार उस जगह/स्थान को अधिकार मे लेने से नगर पंचायत को नही रोक सकेगा अगर सम्भव हुआ तो उचित मुआवजा ठेकेदार को दे दिया जायेगा। यदि मुआवजे के बारे मे कोई झगडा हो तो जिलाधिकारी/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत का निर्णय अन्तिम होगा।

10. सरकारी सडक पर तहबाजारी दुकानदारों को स्थायी दुकानों के सामने रास्ते की एक मीटर चौडी जगह छोड कर सामान आदि लगाकर बैठने का अधिकार होगा जिस पर स्थायी दुकानदार को कोई आपत्ति न होगी।